सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official



# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस**

प्रकरण संख्या **09/2019 अपील रसद**

श्री मांगीलाल पिता श्री केला जी कलाल, उचित मुल्य दुकानदार अम्बावगढ, कच्ची बस्ती वार्ड नम्बर 5, शहर, उदयपुर (राज.)

**.....अपीलार्थी**

**बनाम**

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, उदयपुर (राज.)

**.....रेस्पोडेंट**

**अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर मुकदमा नम्बर 21/19 दिनांक 09.05.2019 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976**

**उपस्थितः—** श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री प्रधुम्न सिंह राणावत, पैरोकार सरकार

## निर्णय

**दिनांक— 24.09.2019**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दूकान अम्बावगढ, कच्ची बस्ती, वार्ड नं. 5, शहर उदयपुर का डीलर होकर प्राधिकारपत्र संख्या 1309/98 होकर निरन्तर कार्य कर रहा है। दिनांक 15.03.19 को प्रर्वतन अधिकारी उदयपुर द्वारा उचित मूल्य की दूकान की जांच की गई। अपीलान्ट की दूकान पर समस्त खाद्य सामग्री स्टॉक रजिस्टर पोस मशीन के मिलान के अनुसार सही पायी गई। अपीलान्ट ने एक भी किलो गेहू चीनी का दुरूपयोग नहीं किया, ना ही कैरोसिन का दुरूपयोग किया। कुछ उपभोक्ता निर्धारित मात्रा से अधिक

मात्रा में गेहू चीनी कैरोसीन की मांग करने की वजह से उनकी मांग नहीं मानने से उनके द्वारा मौखिक रूप से जिला रसद अधिकारी को की गई शिकायत के आधार पर दिनांक 15.03.19 को लाईसेन्स निलम्बित कर दिया गया जो बाद में दिनांक 09.05.19 को लाईसेन्स निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायाल द्वारा मौखिक रूप से दो तीन उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राधिकार पत्र खारीज कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट को जवाब का अवसर दिये बिना उसे बिना सुने निर्णय पारित कर दिया। जो न्याय व विधि के विपरीत होने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसे स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र इस आधार पर खारीज कर दिया कि डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की सभी शर्तो की पालना नहीं कर राशन वितरण में गम्भीर अनियमितता की गई है। जबकि प्रर्वतन अधिकारी महोदय उदयपुर द्वारा अपीलान्ट की दुकान का निरीक्षण दिनांक 15.03.19 को किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान पर समस्त खाद्य सामग्री गेहूं, चीनी, केरोसीन आदि स्टॉक रजिस्टर पोस मशीन के अनुसार सही, बराबर नियमानुसार पायी गयी। दुकान से लगे कुछ उपभोक्ता द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक गेहू चीनी, केरोसीन की मांग की जाती रही है। जिन्हे अपीलान्ट द्वारा नहीं दिये जाने से कुछ उपभोक्ताओं द्वारा मौखिक शिकायत जिला रसद अधिकारी उदयपुर को की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब देने के बजाय अपनी गलती स्वीकार करने के

लिए बाध्य किया गया। जबकि वक्त निरीक्षण किसी प्रकार की कोई अनियमितताऐं वितरण व्यवस्था के संबंध में नहीं पायी गई है। कई बार उपभोक्ताओं के पास समयाभाव वजह से रूपयों की कमी की वजह से मासिक खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाते है। इसलिए उनके द्वारा दो माह का खाद्यान्न एक साथ प्राप्त किया जाता है। जिन उपभोक्ताओं द्वारा गेहू चीनी नहीं देने का कथन किया गया है, वह असत्य है। केवल कयास के आधार पर तीन गवाहों के बयान वक्त निरीक्षण प्रर्वतन अधिकारी द्वारा लिख कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये। परन्तु इन गवाहों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बयान भी दर्ज नहीं कराये गये, ना ही किसी प्रकार का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया। मौके पर जमील अहमद, नूरजहॉ, अबरूनिस्सा ने प्रर्वतन अधिकारी को शिकायत नहीं कर मात्र जांच हेतु बुलाया गया था। जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब का पूर्ण अवसर दिया गया, ना ही सुना गया। प्रर्वतन अधिकारी द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर अपीलान्ट को दोषी ठहराया जा सकें। मात्र तीन गवाहों के आधार पर लाईसेन्स निरस्त कर दिया गया। जबकि उनके बयानों के आधार पर अपीलान्ट को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन किया जाना बताया गया है। परन्तु किस प्रकार उल्लंघन किया गया है जिसका उल्लेख नहीं है। मात्र नोन स्पीकिंग आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र 1998 में जारी किया गया है। तब से अपीलान्ट द्वारा नियमित कार्य किया जाता रहा हैं । आज दिनांक तक दुकान से लगे किसी भी उपभोक्ता द्वारा वितरण व्यवस्था को लेकर अपीलान्ट की शिकायत नहीं की गई है। परन्तु कयास के आधार पर 2000 उपभोक्ताओं में मात्र दो–तीन उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लाईसेन्स निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। दुकान से लगे अन्य उपभोक्ताओं से भी जांच करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कर केवल हितबद्ध व्यक्तियों के नाम

लिख कर कार्यवाही की गई जो अवैध एवं विधि के विपरीत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना, बिना साक्ष्य सबूत के लाईसेंस निरस्त करने में कानूनी भूल की गई हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.19 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि प्रर्वतन अधिकारी श्रीमती मानसी पण्डया द्वारा दिनांक 15.03.19 को अपीलान्ट की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर उपभोक्ता द्वारा बताया की बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन के बाद पर्ची उपलब्ध नहीं करवायी जा रही है। डीलर द्वारा मशीन पर अगूंठा लगवाकर दो माह का राशन मशीन से निकालकर एक माह का राशन ही दिया जाता है। उपभोक्ता जमील अहमद राशनकार्ड सं. 115800502217 एपीएल कार्डधारक द्वारा शिकायत की की माह फरवरी 2019 में 10 किलो गेहू प्रदान किया गया जबकि मौके पर ऑनलाईन जांच पर फरवरी माह में एफपीएस कोड सं. 27209 से दो बार 10–10 किलो का ट्रान्जेक्शन होना पाया गया है। शिकायतकर्ता नूरजहां राशन कार्ड सं. 115800501731 एपीएल कार्डधारक द्वारा माह अक्टूबर 2018 में राशन सामग्री प्राप्त नहीं किये जाने की शिकायत की। मौके पर ऑनलाईन जांच करने पर अक्टूबर 18 का गेहू माह दिसम्बर 18 में डबल ट्रान्जेक्शन द्वारा कुल 10 किलो गेहू तथा 5 लीटर केरोसीन पोसी मशीन से निकाला जाना पाया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अपीलान्ट मांगीलाल द्वारा उसे जारी प्राधिकारपत्र राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकारपत्र की शर्त संख्या 2, 11, 14, 15, 17सी का उल्लंघन किया गया। जिस पर नियमानुसार अपीलान्ट का प्राधिकारपत्र निलम्बन किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब दिनांक 23.04.19 के साथ में कोई साक्ष्य सबूत

प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र अपने जवाब में निवेदन किया कि मेरे राशन की दुकान पर दिनांक 15.03.19 को रसद अधिकारी जी आये थे उनके द्वारा दो महिने का गेहू निकाला था। वो मेने उपभोक्ता को दे दिया है। जो भी मेरे से भूल या गलती हुई है। आयन्दा से भूल व गलती नहीं होगी। इस प्रकार अपीलान्ट स्वयं द्वारा गलती को स्वीकार किया है। वितरण के संबंध में डीलर की शिकायत बराबर कार्यालय में प्राप्त होती रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश पारित किया गया है वह विधिवत होकर उचित है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि वक्त निरीक्षण प्रर्वतन अधिकारी द्वारा जो भी अनियमितताऐं वितरण व्यवस्था के संबंध में अपीलार्थी द्वारा की गई थी। जिसे अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित कर जिला रसद अधिकारी को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जो जवाब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें अपनी गलती को स्वीकार किया गया था। नोटिस में जो आरोप अपीलार्थी पर आरोपित किये गये थे। जिसका खण्डन नहीं किया गया। ना ही आरोपों के खण्डन के स्वरूप किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये गये। बल्कि गलतियों को स्वीकार किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमो में वर्णित किया गया है कि मुझे प्र्याप्त साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.19 को नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 09.05.19 को प्रकरण का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करना चाहता तो उसे न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय दिया गया। अतः उसका यह कथन स्वीकार नहीं है कि मुझे साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने

का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। ना ही मुझे सुना गया। अपीलार्थी द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने की दृष्टि से उपभोक्ताओं से पीओएस मशीन पर अगूंठा लगवा दिया जाता है और दो माह का राशन मशीन से निकाल कर भौतिक रूप से एक माह का ही राशन दिया जाना प्रथम दृष्टया प्रर्वतन निरीक्षक की जांच में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत खारीज किया गया हैं। प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार से कानुनो का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**